विविध बैंक प्रकरण सं. 82/2021 (RCMS 2021/225) भारतीय स्टेट बैंक शाखा – मुख्य बाजार, लालगढ जाटान, श्रीगंगानगर जरिये श्री निर्मल सिंह संधु, प्राधिकृत अधिकारी, आरएसीसी, नगरपालिका रोड, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **बनाम** **1. मैसर्स कपिल ट्रेडिंग कंपनी जरिये पार्टनर–1 श्री सुभाष कुमार पुत्र** श्री महावीर प्रसाद **पार्टनर–2 श्री प्रवीण कुमार पुत्र** श्री विध्या सागर, दुकान नं. 1, कृषि उपज मंडी, लालगढ जाटान, श्रीगंगानगर **2 श्री घनश्याम भादू** पुत्र श्री हरीराम निवासी वार्ड [illegible] लालगढ जाटान, श्रीगंगानगर

11.04.2022

पत्रावली एडमिशन बहस हेतु पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 30.11.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी **मैसर्स कपिल ट्रेडिंग कंपनी जरिये पार्टनर–1 सुभाष कुमार पार्टनर–2 प्रवीण कुमार एवं घनश्याम भादू** को ऋण सुविधा के रूप में 15.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 10.04.2014 स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **मैसर्स कपिल ट्रेडिंग कम्पनी के पार्टनर सुभाष कुमार एवं प्रवीण कुमार की व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 01 (क्षेत्रफल 16'3" गुणा 50') (प्लेटफार्म एवं गोदाम सहित), धान मंडी, लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर** प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रू[illegible] का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दि. 30.06.19 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर

नाम दिनांक 24.07.2019 को 15,91,621/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 24.07.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण मै. कपिल ट्रेडिंग कम्पनी — प्रो. सुभाष कुमार एवं प्रवीण कुमार को दिनांक 25.07.2019 को भिजवाये गये है जिसके परिणामस्वरूप **पोस्ट ऑफिस के नोटिस धारा 13(2) भिजवाने की रसीद की फोटो प्रतियां पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी घनश्याम भादू के धारा 13(2) नोटिस की तामील उसके स्वयं के द्वारा की गई है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थी घनश्याम भादू के हस्ताक्षर युक्त नोटिस पत्रावली में उपलब्ध है इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी **मैसर्स कपिल ट्रेडिंग कम्पनी के पार्टनर सुभाष कुमार एवं प्रवीण कुमार की व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 01 (क्षेत्रफल 16'3" गुणा 50') (प्लेटफार्म एवं गोदाम सहित), धान मंडी, लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि **प्रार्थी बैंक ने पूर्व उक्त अप्रार्थीगण मैसर्स कपिल ट्रेडिंग कम्पनी के पार्टनर सुभाष कुमार एवं प्रवीण कुमार एवं घनश्याम भादू [illegible] [illegible]6.03.2020 को एक प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जो [illegible] 2020 के रूप में दर्ज हुआ था और जिसमें** वित्तिय आ[illegible] और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत नियम [illegible](3) के अनुसार धारा 13(2) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

नोटिस की विधिवत तामील नहीं होने के कारण दिनांक 11.08.2021को निम्न आदेश पारित किया गया था जिसके पेज संख्या 5 में निम्नानुसार अंकित किया गया था:

> **अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.202** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 के नियम 3(3) की पूर्ण पालना करते हुए ऋणियों एवं गांरटर के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही पुनः नये सिरे से कर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरत़ीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।
>
> **यह आदेश आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**
>
> -sd-
> **(जाकिर हुसैन)**
> **जिला मजिस्ट्रेट**
> **श्रीगंगानगर**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी बैंक ने इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 11.08.2021 की पालना नही की गई और इस न्यायालय उक्त निर्णय दिनांक 11.08.2021 के पश्चात अप्रार्थी घनश्याम भादू के पूर्व में जारी नोटिस दिनांक 24.07.2019 पर [illegible] करवा लिये और प्रकरण पुनः इस न्यायालय में पेश [illegible] द्वारा प्रार्थी बैंक को उक्त अधिनियम 2002 के नियम 3(3) की पूर्ण पालना करते हुए ऋणियों एवं गांरटर के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही पुनः नये सिरे से कर पुनः प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रस्तुत करने के निर्देशित किया गया था। परन्तु प्रार्थी बैंक द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.08.2021 की पालना नहीं की गई है। इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्णय के पश्चात यदि वे वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, पूर्व निर्णय की प्रति के सहित पेश करना चाहिए। चूंकि प्रार्थी बैंक के द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 11.08.2021 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना किये बिना यह प्रकरण पेश किया है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में** पूर्व में पारित आदेश को रिव्यु करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इस मामले में रिव्यु के रूप में भी विचार नहीं हो सकता।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड का न्यायिक दृष्टांत 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr भी अवलोकनीय है जिसके पैरा—13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. A[illegible]akash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 26[illegible] and Ka[illegible]taka State Road Trasnport Corporation Vs A[illegible] Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:47 IST
Reason: SelfAttested

उक्त परिपेक्ष्य में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2021 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 एडमिशन की स्टेज पर **खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरत़ीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:18:47 IST
Reason: SelfAttested